राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008

यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की
अधिसूचना क्रमांक एफ-6-38-2012-एक (1), दिनांक 20 फरवरी 2014

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक जुलाई 2008

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी–3–27/88/3/उनचास, दिनांक 24 मई, 1989 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्व्दारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सेवा/पदों पर परीक्षा तथा भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम/परीक्षा की योजना बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 है।

   (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

   (ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

   (ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग व्दारा संचालित परीक्षा;

   (गक) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पदों मे तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी **प्रवर्गों के लिए** आरक्षण) नियम – 1985 में **यथा परिभाषित** भूतपूर्व सैनिक।

   (घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की सरकार;

   (ड.) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

   (च) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा समय–समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 व्दारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (छ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ,

जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ज) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3.(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भर्ती के लिये एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी :–

अनुक्रमांक (1)	विभाग / सेवा / पद का नाम (2)	अभ्युक्तियां (3)
	द्वितीय श्रेणी	
	सामान्य प्रशासन विभाग	
01	राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाध्यक्ष)	
	गृह विभाग	
02	राज्य पुलिस सेवा (पुलिस उप अधीक्षक),	
03	जिला सेनानी, नगर सेना	
	जेल विभाग	
04	अधीक्षक, जिला जेल	
	वित्त विभाग	
05	म.प्र. वित्त सेवा (कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी / लेखाधिकारी / सहायक संचालक)	
06	सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	
	वाणिज्यिक कर विभाग	
07	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
08	जिला आबकारी अधिकारी	
09	जिला पंजीयक	
	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	
10	रोजगार अधिकारी	
	सहकारिता विभाग	
11	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	
	श्रम विभाग	
12	श्रम अधिकारी	
	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ''ख''	

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)/ अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त
15 विकास खण्ड अधिकारी

जनसंपर्क विभाग

16 सहायक संचालक, जनसंपर्क

आदिम जाति कल्याण विभाग

17 जिला संयोजक
18 क्षेत्र संयोजक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

19 सहायक संचालक, खाद्य/जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग

20 जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक
21 मुख्य निर्देशिका, आगंनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र
22 बाल विकास परियोजना अधिकारी

पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

23 सहायक संचालक, (प्रशासन)

तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)

जेल विभाग

01 उप अधीक्षक जेल
02 सहायक अधीक्षक, जेल

वाणिज्यिक कर विभाग

03 वाणिज्यिक कर निरीक्षक
04 आबकारी उप निरीक्षक
05 उप पंजीयक

राजस्व विभाग

06 नायब तहसीलदार
07 सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख

परिवहन विभाग

08 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
09 परिवहन उपनिरीक्षक

सहकारिता विभाग

10 सहकारिता निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी

श्रम विभाग

11 सहायक श्रम अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

12 मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी ''ग''

(2) राज्य सेवा परीक्षा में निम्नानुसार दो क्रमिक स्तर होंगे –

(एक) (क) प्रारंभिक परीक्षा – मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीद्वारों के चयन के लिये (वस्तुनिष्ठ प्रश्न),

(ख) मुख्य परीक्षा – ऊपर उल्लिखित विभिन्न सेवाओं और पदों हेतु उम्मीद्वारों के अंतिम चयन के लिये, मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार)।
परीक्षा की योजना तथा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम परिशिष्ट– एक, दो तथा तीन के अधीन दिए गए अनुसार होंगे।

(ग) परीक्षा शुल्क परिशिष्ट– 4 के अनुसार देय होगा।

(दो) समस्त उम्मीद्वार भले ही उन्होंने किसी विशिष्ट सेवा/पद विशेष को अधिमान दिया हो, परीक्षा की योजना (परिशिष्ट–एक) में यथा उल्लिखित उतनी ही संख्या के प्रश्न पत्रों में उपस्थित होंगे। केवल जिला संयोजक,(आदिम जाति कल्याण) तथा क्षेत्र संयोजक, (आदिम जाति कल्याण) के पद के लिये आवेदन करने वाले उम्मीद्वारों के मामले में उन्हें ही अधिमानता दी जाएगी जिन्होंने समाज शास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो।

4. (1) प्रारंभिक परीक्षा में, आयोग द्वारा विनिश्चित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीद्वारों के नाम, उनके व्दारा प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट क्रम में सूचीबद्ध किए जायेंगे, इन उम्मीद्वारों में से विभिन्न श्रेणियों के अधीन समान प्राप्तांकों वाले उम्मीदवारों के अतिरिक्त कुल रिक्तियों के पन्द्रह गुना यदि कोई हों, मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह माना जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तद्नुसार घोषित किये जाएंगे।

मुख्य परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीद्वारों की सूची, पृथक रूप से तैयार की जायेगी और उनके परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा के चयन हेतु केवल छानवीन (स्क्रीनिंग) परीक्षा होगी और उम्मीद्वारों के अंतिम चयन के समय पर इस परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) मुख्य परीक्षा में सम्मिलित तथा आयोग व्दारा विनिश्चित किये गये न्यूनतम प्राप्तांकों के आधार पर, उम्मीद्वारों की श्रेणीवार मेरिट सूची उनके व्दारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के क्रम में तैयार की जायेगी तथा विभिन्न सेवाओं के अधीन कुल विज्ञापित पद संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को, यदि कोई हों, शामिल करते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अर्ह माना जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीद्वारों की, जो साक्षात्कार के लिये अर्ह पाए गए हों, एक पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(3) (क) साक्षात्कार के पश्चात्, आयोग द्वारा उम्मीद्वारों के नाम, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें प्राप्त कुल अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में रखे जायेंगे।

किसी विशिष्ट सेवा के लिये किसी उम्मीद्वार की अनुशंसा करते समय, साक्षात्कार के समय अधिमान पत्रक में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर (यदि कोई हो) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सम्यक् रूप से ध्यान दिया जायेगा–

(एक) विज्ञापित पदों हेतु अधिमान पत्रक, उम्मीदवारों से साक्षात्कार के समय प्राप्त किया जाता है तथा इसी अधिमान पत्रक में दर्शाई गई वरीयता के अनुसार, गुणानुक्रम में उम्मीदवार का चयन किया जाता है। एक बार अधिमान पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दो) उम्मीदवारों के चयन पर विचार केवल उन्हीं पदों हेतु किया जायेगा जिनके लिए वे अधिमान पत्रक में पद एवं उनकी वरीयता दर्शायेंगे। किसी अन्य पद पर जो उन्होंने अधिमान पत्रक में उल्लिखित नहीं किया है, उन पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वे योग्यता क्रम में उन पदों पर चयन के लिए पात्र हों।

(तीन) यदि किसी उम्मीद्वार ने आयोग को सम्यक रूप से भरकर अधिमान पत्रक प्रस्तुत न किया हो या अधिमान पत्रक उसके हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किया हो, या इच्छा/अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके चयन के संबंध में सभी पदों के लिये, उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से विज्ञापन में पद सूचीबद्ध किये गये हैं।

(चार) उपरोक्त सिद्धांत अनुपूरक चयन सूची तैयार करते समय भी लागू होंगे।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक **अभ्यर्थियों** के मामलों में प्रत्येक पद के लिये योग्यता सूची, उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की सीमा तक इसी प्रकार पृथक् रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग का कोई **अभ्यर्थी** उसके कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के **अभ्यर्थियों** को अनारक्षित पदों के विरुद्ध तभी समायोजित किया जायेगा जब वे हर प्रकार से अनारक्षित वर्ग के **अभ्यर्थी** के समान ही, बिना किसी शिथिलीकरण के **योग्यता** सूची में स्थान प्राप्त करेंगे।

(4) आयोग, मुख्य सूची में दिए गए उम्मीद्वारों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक पद के लिए उम्मीद्वारों की एक अनुपूरक सूची (वेटिंग लिस्ट) भी तैयार करेगा, ऐसी प्रत्येक सूची में नामों की न्यूनतम संख्या दो होगी, परन्तु वह मुख्य सूची की संख्या से अधिक नहीं होगी।

5. आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, शासन उम्मीद्वारों के बारे में ऐसी जांच पड़ताल करेगा, जैसा कि वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि, वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त हैं। शासन उम्मीद्वारों को नियुक्ति देने/न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. पात्रता संबंधी शर्तें –

(1) राष्ट्रीयता – उम्मीद्वार भारत का नागरिक होना चाहिये।

(2) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता – उम्मीद्वार के पास, भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिये।

टिप्पण–(1) ऐसे **अभ्यर्थी**, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने **के पश्चात वे** आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं **दी गय है** तथा ऐसे **अभ्यर्थी भ जो** ऐसी आगामी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित **होने का आशय रखते हों**, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त **अभ्यर्थियों के लिए** जो आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा (मुख्य) **में सम्मिलित होने के** लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम **तारीख** तक स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा :

परन्तु साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ **अर्हकारी परीक्षा उत्ार्ण करने की अंकसूच प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।"**

टीप–(2) ऐसे उम्मीद्वार भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(3) आयुः–

(क) **अभ्यर्थी** ने विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के **बाद** की **पहल** जनवरी को

21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूरी न की हो:

परन्तु गृह (पुलिस) विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा उनके **अपने** भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी।

परन्तु यह और कि राज्य **सरकार**, सेवाओं की अत्यावश्यकताओं पर विचार करते हुए इन नियमों में सम्मिलित सेवाओं में से किसी सेवा के लिये न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर **सकेगा**;

(ख) अधिकतम आयु सीमा में **अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण** –

(एक) **निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु** अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष **होगा**:–

(क) महिला **अभ्यर्थी** (अनारक्षित / आरक्षित / विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा);

(ख) आरक्षित **प्रवर्ग** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर);

(ग) **मध्य प्रदेश सरकार तथा** उसके निगम / मंडल / स्वशासी **संस्थाओं** के कर्मचारी तथा नगर सैनिक;

(घ) न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता **वाले शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति** ।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी ;

(तीन) अधिकतम 2 वर्ष तक – यदि **अभ्यर्थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने (पति / पत्नी) नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करता हो;**

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक – यदि **अभ्यर्थी** सामान्य प्रशासन विभाग के **आदेश** के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त **सवर्ण** पार्टनर हो;

(पांच) अधिकतम 5 वर्ष तक – यदि **अभ्यर्थी** सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3 / 8 / 85 / 3 / 1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार ''विक्रम अवार्ड'' से सम्मानित खिलाड़ी हो :

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पण- (1) जिला चिकित्सा **बोर्ड** से **प्राप्त** न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता **के** प्रमाण पत्र के आधार पर ही निःशक्त प्रवर्ग को आरक्षण तथा अन्य

सुविधाएं प्रदान की जाएंग।

(2) सभ प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किस भ स्थिति में किस भ प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होग।

(3) आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण तथा अन्य फायदे मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, निःशक्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट तथा अन्य फायदे केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुज्ञेय होंगी। अन्य राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेण के माने जाएंगें।

(4) यदि अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके पिता/पति क्रीमीलेयर में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुज्ञेय आरक्षण तथा अन्य छूटें, उपलब्ध नहीं होग।

(छह) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं / परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

7. नियम 6 के उपनियम (3) में यथा उपबंधित के सिवाय आयु सीमा में कोई भ अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होग । अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखन चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण-पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए। इसमें असफल रहने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिये गये जन्म संबंधी उद्धरण और इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन-पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किस भ परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभ अभ्यावेदन अमान्य होंगें। प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में दी गय जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

8. (1) कोई भी पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह, ऐसी पत्नी के जीवनकाल के दौरान करने के कारण अमान्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि, राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि, ऐसा करने के लिए कोई विशेष औचित्य/कारण है और तदुपरि शासन किसी पुरूष उम्मीद्वार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) कोई महिला उम्मीद्वार जिसका विवाह इस कारण से अमान्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पति की एक पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी ऐसे विवाह के समय एक पत्नी जीवित हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि, राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष आधार है और तदुपरि शासन ऐसी किसी महिला उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) (क) ऐसा कोई भ□ अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(ख) कोई भ[अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक ज□वित संतान है और आगाम□ प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात होता है जिसमें दो या दो से अधिक ज□वित संतानों का जन्म होता है।

9. उम्मीद्वार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे विशेष सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निवर्हन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो। कोई उम्मीद्वार जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा। केवल ऐसे उम्मीद्वारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

10. आयोग उम्मीद्वारों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह नहीं दे सकता। उम्मीदवारों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या वे विहित अपेक्षाएं (शर्ते) पूरी करते हैं और क्या आवेदन करना उनके लिए सार्थक होगा। तथापि, उम्मीद्वारों का ध्यान नीचे सारणी में दी गई कतिपय सेवाओं के लिए दिए गए शारीरिक मापदंडों की ओर आकर्षित किया जाता है। आवेदन करने के पूर्व उम्मीद्वारों को इस बात का स्वयं समाधान कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, ताकि बाद में उन्हें निराश न होना पड़े। शारीरिक मापदंडों का परीक्षण कोई नियुक्ति करने के पूर्व राज्य शासन व्दारा किया जाएगा।

सारणी

ऊंचाई तथा सीने के घेरे के लिए न्यूनतम माप

अनुक्रमांक	पद का नाम	लिंग	ऊँचाई से. मी. में	सीने का घेरा	
				बगैर फुलाये से. मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक)	पुरूष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
2.	जिला सेनानी, होम गार्ड्स	पुरूष	165	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
3.	जिला आबकारी अधिकारी		163	84	89
4.	अधीक्षक जिला जेल	पुरूष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
5.	आबकारी उप निरीक्षक	पुरूष	165	81	86
		महिला	152.4	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
6.	उप जेलर	पुरूष	165	84	
		महिला	158	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
7.	परिवहन उप निरीक्षक		165	81 बिना फुलाए	

11. परीक्षा में सफल होने पर उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

12. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीद्वार की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा। इस बिन्दु पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश अनंतिम होगा। यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर सत्यापन के पश्चात् यह पाया जाता है कि उम्मीद्वार, पात्रता की समस्त शर्तें पूरी नहीं करता है या असत्य/त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है तो उसकी उम्मीद्वारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसका कोई दावा गलत पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 16 के निबंधनों के अनुसार वह स्वयं अपने विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने का दायी होगा।

इस तथ्य का कि उम्मीद्वार को परीक्षा का प्रवेश कार्ड/पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीद्वारी को आयोग द्वारा अंतिम रूप/अप्रतिसंहरणीय रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसके आवेदन पत्र में उम्मीद्वार द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप से स्वीकार कर ली गई हैं।

प्रारंभिक परीक्षा केवल एक छानवीन परीक्षा है अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ आयोग कोई प्रमाण पत्र नहीं मंगवाता है एवं परीक्षा हेतु उस स्तर पर अर्हता की जांच नहीं की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में, समस्त आवेदकों को बिना अपवाद परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा किन्तु मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जॉच, मुख्य परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय अर्थात् साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार की पात्रता का निर्धारण करते समय की जाएगी। जिन आवेदन पत्रों में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होंगें उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। अतः आवेदक को आवेदन करने के पूर्व भली भांति अपनी पात्रता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में अधिकथित अपेक्षाओं/शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं ताकि उन्हें बाद में निराश न होना पड़े।

13. किसी भी **अभ्यर्थी** को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो एवं आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र **का** फोटो युक्त परिचय पत्र (पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/**ड्राइविंग** लायसेंस/पेनकार्ड/आधार कार्ड) से परीक्षा केन्द्र पर मिलान न कर लिया गया हो।

14. **विलोपित**

15. (1) उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायात के लिए दॉवा करने वाले **अभ्यर्थियों** को साक्षात्कार **के** पूर्व**,** प्रेषित किये जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, आवेदन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता **के नाम का उल्लेख करने वाला** जाति प्रमाण–पत्र ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य **पिछड़े** वर्ग के **अभ्यर्थियों के मामले में जाति** प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं **आता** है। जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किये जायेंगें। यदि **अभ्यर्थी** साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी **अभ्यर्थिता**

अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे उम्मीद्वार को जो मध्यप्रदेश के छंटनी किए गए शासकीय सेवक के रूप में आयु में रियायत के लिए दावा करता है, उसे विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से जहां से उसकी छंटनी की गई थी प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जिसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का पदनाम, और प्रत्येक पद पर उसकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख दर्शाई गई हो और यह भी प्रमाणित हो कि स्थापना में कमी किए जाने के कारण उसे सेवोन्मुक्त किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये।

(3) भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में रियायत का दावा करने वाले उम्मीद्वार को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवोन्मुक्त होने की तारीखें दर्शाई गई हों और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की अनुशंसा के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य कमी किए जाने के कारण, जैसी भी स्थिति हो, छंटनी किया गया था या अधिशेष घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिये।

16. ऐसे उम्मीद्वार को, जिसे आयोग ने निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाया हो:–

(1) जिसने अपनी उम्मीद्वारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(2) प्रतिरूपण किया हो; या

(3) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(4) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(5) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(7) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(8) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारिवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(9) उनके प्रवेश पत्र में उम्मीद्वारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारिवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(10) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

(11) परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी वीक्षक के पास उसकी उत्तरपुस्तिका जमा करने में असफल रहता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किए जाने के दायित्वाधीन होगी तथा केंद्राध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जा सकेगा।

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे दायी ठहराने के अलावा –

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीद्वार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए–
(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से;
विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि –

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार न किया गया हो।

17. विलोपित

18. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदन पत्र में दिये गये अधिमान को दृष्टि में रखकर उम्मीद्वार को परीक्षा केन्द्र आवंटित करे या न करे। आयोग के लिये यह आवश्यक एवं बंधनकारी नहीं है कि आवेदक द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही उसे आवंटित करे। परीक्षा केन्द्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग व्दारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे। केन्द्र बदलने या आवेदन पत्र में अन्य कोई प्रविष्टि बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

19. **अभ्यर्थी** द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित वर्तमान पते /ई–मेल आई. डी. पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र–व्यवहार किया जावेगा । **अभ्यर्थी के पते/ ई-मेल आई.डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए पते/ ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आगाम पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देन होग। अभ्यर्थी** द्वारा पता/ई–मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये पते/ई–मेल आई. डी. की सूचना न देने पर समस्त पत्रव्यवहार पुराने पते/ई–मेल आई. डी. पर ही किया जावेगा जिसके फलस्वरूप **अभ्यर्थी** को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु **अभ्यर्थी** स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

20. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अंक सूची **उपलब्ध नहीं कराएगा** क्योंकि यह केवल **एक** छानबीन (स्क्रीनिंग) परीक्षा है **और** इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथापि मुख्य परीक्षा की अंक सूचियाँ **अभ्यर्थियों** को, अंतिम चयन परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् आनलाईन उपलब्ध कराई जावेगी । आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है, **इसलिए** इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार **स्वीकार** नहीं किया जाएगा।

21. **केवल** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं न्यूनतम 40 प्रतिशत **नि:शक्तता पाने वाले अभ्यर्थियों** को अपने निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र का चयन करना चाहिए क्योंकि **ऐसे अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान से** निकटतम परीक्षा केन्द्र तक

का ही यात्रा व्यय देय होगा। यात्रा व्यय अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार केंद्राध्यक्ष द्वारा चेक से दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ सम्यक रूप से भरा हुआ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति केवल मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी /जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया जाति / चरित्र प्रमाण-पत्र जिसके साथ घोषणा-पत्र भ दिया हो, प्रस्तुत करने पर की जाएग। आरक्षित प्रवर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जो मध्य प्रदेश के मूल निवास है और साक्षात्कार में उपस्थित हुये है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा यात्रा व्ययों का संदाय किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न रियायतें, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश शासन व्दारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा मध्यप्रदेश शासन व्दारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिये ही लागू होंगी। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। मध्यप्रदेश शासन व्दारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग के ''क्रीमीलेयर'' में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण एवं अन्य लाभ अनुज्ञेय नहीं होगें।

22. किसी विशिष्ट सेवा के लिये अंतिम रूप से चयनित उम्मीद्वारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये। उन्हें मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करना अपेक्षित होगा और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये। पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा चयनित उम्मीद्वारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य समान हैसियत में, जैसा राज्य सरकार वांछा करे, कम से कम तीन वर्षों की कालावधि के लिये राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा।

23. निरसन तथा व्यावृत्ति – इन नियमों से तत्संबंधी समस्त नियम जो इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू हों, एतद्द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वाय. सत्यम)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट- एक- परीक्षा योजना
परिशिष्ट- दो- प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम
परिशिष्ट- ताम्र- मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

टीप: उक्त ताम्रों परिशिष्ट राज्य सेवा परीक्षा 2013 के विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2013, दिनांक 30-12-2013 के परिशिष्ट-एक, दो तथा ताम्र के रूप में प्रकाशित किए गए है। उक्त विज्ञापन दिनांक 06.01.2014 तथा 20.01.2014 के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भ उपलब्ध है।

परिशिष्ट–4

शुल्क

1. प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीद्वार को शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान आयोग को करना होगा।

2. शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3. किस भ अन्य रीति से किया गया अथवा भेजा गया शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन, शुल्क रहित माने जाएंगें तथा सरसरी रूप से निरस्त कर दिये जाएंगें।

4. मुख्य परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीद्वारों के लिए भी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देना आवश्यक होगा।

5. प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए भुगतान किया गया शुल्क किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जायेगा तथा न ही शुल्क किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए रक्षित रखा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वाय. सत्यम)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग